

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2018-19/
निमित्त:-

12687

दिनांक: 05-09-19

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषय:- Construction of Lilo From 220 KV S/C Jhalawar-Chhabra line at
proposed 220 KV GSS Aklera, District Jhalawar.

प्रसंग:- ओनलाईन ई.डी.एस दिनांक 28.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ओनलाईन ई.डी.एस की निम्नानुसार पूर्ति कर ली गई है:-

क्रं सं	ई.डी.एस	ई.डी.एस का जवाब
1.	बिन्दु संख्या 1 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 1 है। मे नाला होने के कारण 50 है। मे प्रस्तावित की गई है। इस हेतु संशोधित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन संलग्न किया गया है जबकि हार्ड प्रति के साथ संलग्न नहीं है।	संशोधित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।
2.	बिन्दु संख्या 3 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा 6684 वृक्ष पारेषण लाईन के नीचे आना अंकित किया गया है किन्तु पार्ट-II में उक्त संख्या 6631 अंकित है अतः संशोधन प्रस्तावित है। साथ ही संलग्न सूची से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौनसे वृक्ष काटे जावेगे एवं कौनसे वृक्षों की छटाई की जानी प्रस्तावित है। पृथक-पृथक सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	पार्ट-II में 6684 वृक्ष पारेषण लाईन के नीचे आना अंकित कर दिया गया है तथा प्रस्ताव में काटे जाने वाले वृक्ष एवं छटाई की जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न प्रेषित है।
3.	बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा छत्र घनत्व संशोधित कर दिया गया है किन्तु छत्र घनत्व के अनुसार एन0पी0बी0 गणना रिपोर्ट संशोधित संलग्न नहीं की गई है।	छत्र घनत्व के अनुसार एन0पी0बी0 गणना रिपोर्ट संशोधित संलग्न प्रेषित है।
4.	बिन्दु संख्या 5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा वनखण्डवार विवरण संलग्न कर दिया गया है किन्तु दिये गये विवरण में निम्नानुसार कमियां हैं	

ky

	1. प्रस्ताव में वनखण्ड बोरबंद की 3.3 है० वन भूमि आना अंकित है किन्तु उसमें अंकित ग्रामों का मिलान ग्रामावार सूची से नहीं हो रहा है। अर्थात् मिर्जापुर उक्त वनखण्ड में शामिल नहीं है। 2. प्रकरण में 6 वनखण्ड प्रभावित होना अंकित किया गया है किन्तु प्रति 5 वनखण्डों की संलग्न की गई है। आडमपंथ चौकी वनखण्ड की प्रति संलग्न नहीं की गई है। 3. प्रस्ताव में वनखण्ड के अनुसार ग्रामों का मिलान नहीं हो रहा है।	ग्राम मिर्जापुर वनखण्ड बोरबंद में स्थित न होकर वन खण्ड बांदरी में स्थित है। तथा वनखण्डों का ग्राम वार विवरण सही अंकित कर दिया गया है। वनखण्ड आडमपंथ चौकी की प्रति संलग्न की दी गई है।
5.	बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा प्रकरण में जारी एफ. आई.आर.आर के संदर्भ में प्रकरण शमन करना अंकित किया गया है किन्तु उसका प्रति संलग्न नहीं है। साथ ही भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2019 के अनुसार कार्यवाही के क्रम में पूर्ण विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	एफ.आई.आर के शमन की प्रति संलग्न प्रेषित है साथ ही भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2019 के अनुसार कार्यवाही के क्रम में पूर्ण विवरण संलग्न प्रेषित है।।
6.	बिन्दु संख्या 8 की पालना के क्रम में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु प्राप्त प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन क्षेत्र 34.78588 है एवं जिला स्तरीय समिति में 27.02688 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित वन क्षेत्र 24.4888 है० है वस्तुस्थिति पर टिप्पणी एवं संशोधित दस्तावेज संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।	वस्तुस्थिति के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी का पत्र संलग्न प्रेषित है (अंश 602 दिनांक 28-8-2019)

संलग्न उपरोक्तानुसार।


 (नन्दलाल प्रजापत)
 उप वन संरक्षक
 झालावाड़